

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कोट्टावाला

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

माननी गीर

उनवान

बनाम

राज्यपाल सचवा

दावा बाबत नाम डरली

मुकदमा नम्बर :- 120 / 2021

निर्णय दिनांक :- 25.11.2021

वादी की ओर से रुच की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.11.2021 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी की ओर से रुच कोट्टावाला नाम के ग्राम कोट्टावाला नाम के ग्राम की वृद्धि करके वादा नं. 124 पर अर्जित माननी गीर पुत्र नूनगीर के ज्ञान प्लु माननी गीर पुत्र सुरज गीर अर्जित करने के आदेश दिये जाते हैं। न्यायालय के अनुसार राज्यपाल सचवा में अमल दायमद करे। नाम डरली के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर लम्बे विधिवादी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



25.11.21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



मांग 602
25.11.2021